

राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर

आदेश

एकलपीठ सिविल अवमानना याचिका संख्या 439/2016

अन्तर्गत

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 416/2016

मुकेश व अन्य बनाम श्री सी.एस.राजन व अन्य

दिनांक - 31.3.2016

माननीय न्यायाधिपति श्री महेश चन्द्र शर्मा

डा. रामकिशन शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
श्री राजेन्द्र प्रसाद, अतिरिक्त महाधिवक्ता।

प्रार्थीगण की ओर से अपने अभ्यावेदन के साथ ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसके आधार पर उनके अभ्यावेदन को निर्णीत किया जा सके।

मैं प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत इस अवमानना याचिका में कोई बल नहीं पाता हूँ। अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत यह अवमानना याचिका निरस्त की जाती है। विपक्षीगण को अवमानना के नोटिसेज से डिस्चार्ज किया जाता है।

महेशचन्द्र शर्मा
न्यायाधिपति

सुरेश

All corrections made in the judgment /order have been incorporated in the judgment / order being E-mailed.

SK Sharma
DR